# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूँगरपुर

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर 35/2022
जीसीएमएस नं. 2022/92

दायर दिनांक 06.12.2022
निर्णय दिनांक 11.06.2025

1.सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार गलियाकोट जिला डूंगरपुर

– अपीलाण्ट

**बनाम**

1.श्रीमती उर्मिला पत्नि लालशंकर पाटीदार निवासी गडाजसराजपुर तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर

2. श्रीमती धनु पत्नि शिवराम पाटीदार निवासी गडाजसराजपुर तहसील गलियाकोट, जिला डूंगरपुर

– रेस्पोडेण्ट्स

*अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970*

उपस्थित – 1. राजकीय पेरोकार – अपीलाण्ट
2. श्री मुकेश भट्ट, अधिवक्ता – रेस्पोडेन्ट

–:निर्णय:–

दिनांक – 11.06.2025

1. प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार गलियाकोट द्वारा इस आशय का अपील प्रार्थना पत्र पेश किया कि मौजा गडाजसराजपुर के खसरा नम्बर 4139/3763 रकबा 0.0647 है0 भूमि जरिये मिसल नंबर 20/2021 दिनांक 15.11.2021 को विपक्षी श्रीमति उर्मिला पत्नी लालशंकर पाटीदार एवं धनु पत्नि शिवराम पाटीदार निवासी गडाजसराजपुर तहसील गलियाकोट को प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 में



दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आवंटी आवंटीत आराजी पर काबिज नही है। और आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गयी है। आवंटी द्वारा आवंटन पश्चात काश्त नहीं की गयी है। अतः आवंटी को आवंटन खारिज फरमाया जावे।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

3. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि मौझा गडा जसराजपुर तहसील गलियाकोट जिला डूँगरपुर के मूल निवासी होकर काश्त कार है और काश्त कर अपना व परिवार का गुजारा चला रही है। मौझा गडाजसरापुर के खसरा नम्बर 4139/3763 रकबा 0.0674 है0 भूमि स्थित है जिसमें 1/2 हिस्से पर विपक्षी उर्मिला व 1/3 हिस्से पर विपक्षी धनु काबिज है और भूमि पर इनका वर्षो पूराना कब्जा चला आ रहा है और भी मौके पर कब्जा विपक्षीगण का ही है। पुराने कब्जे काश्त के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से का आवंटन विपक्षी धनु व 1/2 हिस्से का आवंटन विपक्षी उर्मिला के नाम नियमानुसार दिया गया है और आवंटन के पूर्व से ही उक्त भूमि पर विपक्षीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। विपक्षीगण द्वारा उक्त भूमि पर काफी मेहनत मजदूरी कर अच्छी किस्म की बनाई उक्त भूमि पर श्री रमणलाल का कभी भी कब्जा नही रहा है और जो मौका पर्चा रिपोर्ट बनाई है उस समय विपक्षीगण को नही बुलाया गया है मौका पर्चा बनाते समय श्री रमणलाल द्वारा अपने पक्ष के ही लोगो को बुलाकर व पटवारी हल्का से मिलकर गलत मौका पर्चा रिपोर्ट बनाई है। विपक्षीगण का उक्त भूमि पर कब्जा कायम है । श्री रमणलाल द्वारा झूठी शिकायत राजस्व विभाग को की गई है विपक्षीगण का कब्जे के आधार पर उक्त आवंटन को यथावत रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त भूमि पर रमणलाल कभी भी काबिज नही रहा है जमीन कसारीया बडगी सडक से सटकर होने व काफी किमती होने से झूठी शिकायत कर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही ही जा रही है जिसे उक्त कार्यवाही को निरस्त कर आवंटन विपक्षीगण का यथावत रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है।

4. हमने अपील प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सूनी।

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

5. पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र कथनों को दोहराते हुए निवेदन कि मौजा गडाजसराजपुर के खसरा नम्बर 4139/3763 रकवा 0.0647 है0 भूमि जरिये मिसल नंबर 20/2021 दिनांक 15.11.2021 को विपक्षी श्रीमति उर्मिला पत्नी लालशंकर पाटीदार एवं धनु पत्नि शिवराम पाटीदार निवासी गडाजसराजपुर तहसील गलियाकोट को प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2021 में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटी मौके पर काबिज नही हैं। और आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गयी है। आवंटी द्वारा आवंटन पश्चात काश्त नहीं की गयी है। अतः आवंटी को आवंटन खारिज फरमाया जावे।

6 अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा अपनी बहस में जवाब दावा एवं लिखित बहस के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौझा गडा जसराजपुर तहसील गलियाकोट जिला डूॅगरपुर के मूल निवासी होकर काश्त कार है और काश्त कर अपना व परिवार का गुजारा चला रही है। मौझा गडाजसरापुर के खसरा नम्बर 4139/3763 रकबा 0.0674 है0 भूमि स्थित है जिसमें 1/2 हिस्से पर विपक्षी उर्मिला व 1/3 हिस्से पर विपक्षी धनु काबिज है और भूमि पर इनका वर्षो पूराना कब्जा चला आ रहा है और भी मौके पर कब्जा विपक्षीगण का ही है। पुराने कब्जे काश्त के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि में से 1/2 हिस्से का आवंटन विपक्षी धनु व 1/2 हिस्से का आवंटन विपक्षी उर्मिला के नाम नियमानुसार दिया गया है और आवंटन के पूर्व से ही उक्त भूमि पर विपक्षीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। विपक्षीगण द्वारा उक्त भूमि पर काफी मेहनत मजदूरी कर अच्छी किस्म की बनाई उक्त भूमि पर श्री रमणलाल का कभी भी कब्जा नही रहा है और जो मौका पर्चा रिपोर्ट बनाई है उस समय विपक्षीगण को नही वुलाया गया है मौका पर्चा बनाते समय श्री रमणलाल द्वारा अपने पक्ष के ही लोगो को बुलाकर व पटवारी हल्का से मिलकर गलत मौका पर्चा रिपोर्ट बनाई है। विपक्षीगण का उक्त भूमि पर कब्जा कायम है । श्री रमणलाल द्वारा झूठी शिकायत राजस्व विभाग को की गई है विपक्षीगण का कब्जे के आधार पर उक्त आवंटन को यथावत रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त भूमि पर रमणलाल कभी भी काविज नही रहा है जमीन करारीया बडगी सडक से सटकर होने व काफी किमती होने से झूठी शिकायत कर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है जिसे उक्त कार्यवाही को निरस्त कर आवंटन विपक्षीगण का यथावत रखा जावें।



दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

7. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ।

8. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी मौजा गडाजसराजपुर के खसरा नम्बर 4139/3763 रकबा 0.0647 है0 भूमि जरिये मिसल नंबर 20/2021 दिनांक 15.11.2021 को विपक्षी श्रीमति उर्मिला पत्नी लालशंकर पाटीदार एवं धनु पत्नि शिवराम पाटीदार निवासी गडाजसराजपुर तहसील गलियाकोट को प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी। तहसीलदार गलियाकोट द्वारा उपरोक्त आवंटीत आराजी को निरस्त कराने हेतु अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 पेश किया जिसमें उक्त भूमि पर आवंटन के पश्चात आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही किया जाना एवं आवंटित आराजी पर आदिनांक तक कब्जा नहीं होना अंकित किया है। इस प्रकार आवंटी द्वारा नियम 14 (3) की पालना नहीं की हैं। राजकीय पैरोकार द्वारा बहस में यह कथन किया है की नियम 14 (3) अनुसार आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि को काश्त एवं उपयोग किया जाना आवश्यक हैं। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड/दस्तावेज अनुसार आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात आवंटित आराजी में काश्त किये जाने के साक्ष्य के रूप में खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं किया हैं। आवंटी को आराजी वर्ष 2021 में आवंटित हुई। अतः आवंटित भूमि पर आवंटन के प्रथम वर्ष 2022, द्वितीय वर्ष 2023 एवं तृतीय वर्ष 2024 में काश्त किया जाना होता है। उपरोक्त वर्षो की कोई खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है जिसमें फसल काश्त किया जाना साबित होता हैं।

**अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम ,1970 अपील स्वीकार की जाकर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये आवंटन आदेश मौजा गडाजसराजपुर के खसरा नम्बर 4139/3763 रकबा 0.0647 है0 भूमि जरिये मिसल नंबर 20/2021 दिनांक 15.11.2021 को विपक्षी श्रीमति उर्मिला पत्नी लालशंकर पाटीदार एवं धनु पत्नि शिवराम पाटीदार निवासी गडाजसराजपुर तहसील गलियाकोट को प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित को निरस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गलियाकोट आवंटित भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करें।**

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

(दिनेश धाकड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर